भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड्स

प्रकाशन की तिथि : 13.02.2010 | बंद होने की तिथि और समय : 17.03.2010, 17.30 बजे तक

केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना संख्या : 02/2010

गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (स्नातक) के निम्नलिखित पदों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से विज्ञापन में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में (80 जीएसएम के अच्छी गुणवत्ता के ए-4 आकार के बाण्ड पेपर पर, केवल एक तरफ से प्रयोग करें) आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। हर प्रकार से पूर्ण किए गए आवेदन पत्र, साथ में अपेक्षित संलग्नक संलग्न करते हुए इस अधिसूचना के पैरा 15 में वर्णित संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के पास डाक में प्रेषित किए जाने चाहिए ताकि ये 17.03.2010 को 17.30 बजे तक या इससे पूर्व पहुंच जाएं। आवेदन पत्र संबंधित रेभबो परिसर में रखे गए बॉक्स में भी, बंद होने की तिथि तक, डाले जा सकते हैं. जो उम्मीदवार असम, मेघालय, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों तथा चंबा ज़िले की पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में तथा विदेश में रहते हैं उनके लिए डाक से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 01.04.2010 सायं 17.30 बजे तक है। **उम्मीदवार कृपया नोट करें : (1) लिखित परीक्षा सभी सहभागी रेभबोर्डों द्वारा एक ही दिन आयोजित की जाएगी। (2) सहभागी रेभबोर्डों ने स्थानीय भाषा का विकल्प दिया है। उम्मीदवारों के पास आवेदन करते समय कोई भी एक स्थानीय भाषा का विकल्प चुनने का अवसर है। (3) अजा/अजजा/भूपूसै/शारीरिक विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50000 से कम है, के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। (4) पात्र उम्मीदवार जिन्होंने नीचे रिक्ति सारणी में कॉलम 15 में वर्णित पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत आवेदन किया है, लेकिन अभी परीक्षा होनी है उन्हें समान रेमबो में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह स्वयं के जोखिम पर एक से अधिक रेमबो के लिए आवेदन करने को स्वतंत्र हैं, क्योंकि परीक्षा सभी रेमबो एक ही दिन आयोजित करेंगे। अपात्र उम्मीदवार जिनके आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिये गये हैं, नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।**

कोटि सं.	पद का नाम	वेतन बैंड और जीपी (रु. में)	रेभबो का नाम	रिक्ति सूचित करने वाला रेलवे	रिक्तियों की संख्या (पूर्व में अधिसूचित, लेकिन अभी परीक्षा होनी है, जमा नई रिक्तियां)									पूर्व में अधिसूचित रिक्तियों की कोटि सं. एवं रो.सू.सं. लेकिन परीक्षा अभी होनी है	चिकित्सा श्रेणी	1.07.10 को सामान्य आयु (वर्ष में)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अशक्त व्यक्ति की उपयुक्तता दृवि/अवि/श्रवि	परीक्षा शुल्क (रु.)	परीक्षा के चरण
					अना	अजा	अजजा	अपिव	कुल	भूपूसै	शावि									
											दृवि	अवि	श्रवि							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
कोटि संख्या 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करें (आवेदन प्रपत्र की मद संख्या 01 में प्राथमिकता क्रम का उल्लेख करें)																				
01	वाणिज्यिक अप्रेंटिस	9300-34800 जीपी 4200	अहमदाबाद	प.रे.	01	01	00	00	02	00	00	00	00	-	सी-1	18-33	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष/रेल परिवहन संस्थान से रेल परिवहन और प्रबंध में डिप्लोमा अतिरिक्त वांछनीय योग्यता होगी	अवि (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एमडब्ल्यू) तथा श्रवि के लिए उपयुक्त	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, तदुपरांत दस्तावेजों का सत्यापन
			अजमेर	उ.प.रे.	06	02	01	03	12	00	00	00	00	-						
			इलाहाबाद	उ.म.रे.	02	02	01	03	08	01	00	00	00	-						
			बिलासपुर	द.पू.म.रे.	05	01	01	03	10	01	00	01	00							
				म.रे.	04	01	01	03	09	00	00	00	00	-						
			चंडीगढ़	उ.रे.	05	02	01	03	11	01	00	00	00	-						
			गोरखपुर	उ.पू.रे.	05	03	02	04	14	00	00	00	00	-						
			जम्मू-कश्मीर	उ.रे.	10	02	02	06	20	02	00	01	00	-						
			कोलकाता	द.पू.रे.	12	07	05	02	26	03	00	01	00	-						
			मालदा	द.पू.रे.	02	00	00	01	03	00	00	00	00	-						
			मुंबई	प.रे.	17	02	02	12	33	03	00	04	00	-						
				म.रे.	22	08	06	10	46	05	00	00	00	-						
			मुजफ्फरपुर	पू.म.रे.	22	07	04	13	46	05	00	01	00	-						
			पटना	पू.म.रे.	62	16	05	18	101	10	00	01	01	25(1/06-07)						
			रांची	द.पू.रे.	10	07	03	11	31	02	00	00	00	01(1/2008)						
				पू.म.रे.	01	00	00	00	01	00	00	00	00							
			सिकंदराबाद	द.म.रे.	12	03	00	02	17	01	00	00	01	-						
02	ट्रैफिक अप्रेंटिस	9300-34800 जीपी 4200	अजमेर	उ.प.रे.	04	01	01	02	08	00	**	**	**	-	ए-2	18-33	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष रेल परिवहन संस्थान से रेल परिवहन और प्रबंधन में डिप्लोमा अतिरिक्त वांछनीय योग्यता होगी	**3% रिक्तियां अगले आदेशों तक शारीरिक विकलांग कोटे के तहत आरक्षित रखी गई हैं	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा तदुपरांत दस्तावेजों का सत्यापन
			इलाहाबाद	उ.म.रे.	00	00	11	00	11	01	**	**	**	-						
			बैंगलोर	द.प.रे.	01	02	00	00	03	00	**	**	**	-						
			भोपाल	प.रे.	00	06	02	02	10	01	**	**	**	-						
			बिलासपुर	म.रे.	06	00	02	03	11	01	**	**	**	-						
			चंडीगढ़	उ.रे.	36	10	03	18	67	07	**	**	**	-						
			कोलकाता	द.पू.रे.	03	01	00	02	06	01	**	**	**	-						
			मालदा	द.पू.रे.	04	01	01	02	08	01	**	**	**	-						
			मुंबई	प.रे.	10	03	02	06	21	02	**	**	**	-						
				म.रे.	54	17	08	29	108	11	**	**	**	-						
				द.म.रे.	05	03	01	01	10	01	**	**	**	-						
			मुजफ्फरपुर	पू.म.रे.	15	07	07	13	42	04	**	**	**	-						
			पटना	पू.म.रे.	35	09	08	10	62	06	**	**	**	24(1/06-07)						
			रांची	द.पू.रे.	07	02	01	04	14	01	**	**	**	-						
				पू.म.रे.	03	00	00	01	04	00	**	**	**				-			
कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करें (आवेदन प्रपत्र की मद सं. 01 में वरीयता क्रम का उल्लेख करें)																				
03	पूछताछ सह आरक्षण लिपिक	5200-20200 जीपी 2800	अजमेर	उ.प.रे.	04	01	01	02	08	00	00	00	00	-	सी-1	18-33	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष	दृवि (बी, एलवी), अवि (ओए, ओएल, बीएल, बीएलए, ओएएल) तथा श्रवि के लिए उपयुक्त	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, तदुपरांत दस्तावेजों का सत्यापन
			इलाहाबाद	उ.म.रे.	02	04	02	01	09	01	00	00	00	-						
			बंगलौर	द.प.रे.	00	00	00	00	02	00	00	02	00	51(जे.ई.एन 01/2008)						
			भोपाल	प.म.रे.	00	00	02	00	02	00	00	01	00	-						
			भुवनेश्वर	पू.त.रे.	04	03	00	02	09	01	01	01	00	08(1/2008)						
			बिलासपुर	द.पू.म.रे.	02	01	00	01	06	00	00	02	01	-						
			चेन्नै	द.रे.	26	07	10	08	51	05	00	01	00	-						
			जम्मू श्रीनगर	उ.रे.	00	00	03	06	09	01	00	00	00	-						
			मुंबई	म.रे.	06	02	00	02	10	01	05	00	00	-						
			मुजफ्फरपुर	पू.म.रे.	06	07	04	01	18	02	00	02	00	-						
			पटना	पू.म.रे.	05	04	01	02	12	01	00	04	00	-						
			रांची	पू.म.रे.	01	00	00	00	01	00	00	01	00							
			सिकंदराबाद	द.म.रे.	00	00	02	00	02	00	01	00	00	-						
			तिरूअनंतपुरम	द.रे.	08	00	00	00	08	00	00	01	00	-						

क्रमशः

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
04	गुड्स गार्ड	5200-20200 जीपी 2800	अजमेर	उ.प.रे.	35	13	08	24	80	05	**	**	**	-	ए-2	18-33	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष	**3% रिक्तियां अगले आदेश तक शारीरिक विकलांगों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, तदुपरांत दस्तावेजों का सत्यापन
			इलाहाबाद	उ.रे.	22	08	04	14	48	05	**	**	**	-						
			बंगलौर	द.प.रे.	23	06	06	03	38	04	**	**	**	-						
			भोपाल	प.म.रे.	00	00	00	26	26	00	**	**	**	-						
			भुवनेश्वर	पू.त.रे.	25	08	03	13	49	05	**	**	**	-						
			बिलासपुर	म.रे.	40	13	06	22	81	08	**	**	**	-						
			चंडीगढ़	उ.रे.	00	00	15	00	15	02	**	**	**	-						
			चेन्नै	द.रे.	25	08	04	06	43	04	**	**	**	-						
			जम्मू-श्रीनगर	उ.रे.	04	02	01	03	10	01	**	**	**	-						
			कोलकाता	द.पू.रे.	39	15	06	26	86	09	**	**	**	-						
				पू.रे.	91	77	34	47	249	25	**	**	**	-						
			मुंबई	म.रे.	85	25	12	46	168	17	**	**	**	-						
			रांची	द.पू.रे.	157	64	30	102	353	34	**	**	**	-						
			सिकंदराबाद	द.म.रे.	34	21	15	10	80	09	**	**	**	-						
				पू.त.रे.	16	08	04	09	37	03	**	**	**	-						
			तिरुवनंतपुरम	द.रे.	19	09	10	01	39	03	**	**	**	-						
कोटि सं. 05 और 06 के लिए एकल आवेदन प्रस्तुत करें.(आवेदन पत्र की मद सं. 1 में प्राथमिकता के क्रम का उल्लेख करें)																				
05	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक	5200-20200 जीपी 2800	अहमदाबाद	प.रे.	27	08	04	14	53	05	14	15	14	-	सी-1	18-33	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष प्रथम और द्वितीय श्रेणी के साथ, आनर्स और मास्टर्स डिग्री धारी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी टंकण में अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. और हिंदी में 25 श.प्र.मि. की गति	दृवि (बी, एलवी), अवि (ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, और श्रवि हेतु उपयुक्त	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, अर्हक टंकण परीक्षा, तदुपरांत दस्तावेजों का सत्यापन
			अजमेर	उ.प.रे.	09	06	01	05	21	00	00	01	01	-						
			इलाहाबाद	उ.म.रे.	28	11	07	17	63	06	00	01	01							
				डीएलडब्ल्यू	00	00	00	03	03	00	00	00	02	-						
			बंगलौर	आरडब्ल्यूएफ	03	01	00	00	04	01	00	00	00	52(जि.ई.एन 01/2008)						
			भुवनेश्वर	पू.त.रे	29	14	09	14	66	07	01	01	00	-						
			चेन्नै	आईसीएफ	00	03	10	00	13	01	00	01	00	-						
			मुंबई	प.रे.	38	11	06	21	76	08	07	04	08	-						
				म.रे.	28	24	29	17	98	10	13	01	12	-						
			पटना	पू.त.रे.	16	09	04	08	37	04	04	03	00	-						
				सीडब्ल्यूपी	05	02	01	03	11	01	00	00	00	-						
06	वरि. लिपिक सह टंकक	5200-20200 जीपी 2800	अहमदाबाद	प.रे.	13	05	03	07	28	02	00	01	00	-	सी-1	18-33	विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष टंकण में दक्षता @ 30 श.प्र.मि. अंग्रेजी में या @ 25 श. प्र.मि. हिंदी में	दृवि (बी, एलवी), अवि (ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, एवं श्रवि	60/-	दो चरण की लिखित परीक्षा, अर्हक टंकण परीक्षा, तदुपरांत दस्तावेजों का सत्यापन
				आरएससी	01	00	00	00	01	00	00	00	00							
			अजमेर	प.म.रे.	06	03	01	03	13	01	01	00	00	-						
			इलाहाबाद	उ.म.रे.	01	00	00	00	01	00	00	00	00	-						
			बंगलौर	द.प.रे.	06	04	00	02	15	01	01	02	01	50(जे.ई.एन 01/2008)						
				आरडब्ल्यूएफ	00	00	00	01	04	00	00	03	00							
			भुवनेश्वर	पू.त.रे.	00	01	00	05	06	01	01	01	00	-						
			बिलासपुर	द.पू.म.रे.	27	08	04	13	52	05	04	05	03	-						
			जम्मू-श्रीनगर	डीएमडब्ल्यू	00	00	10	00	10	00	00	00	00	-						
			मुजफ्फरपुर	पू.म.रे.	00	00	00	00	06	00	05	00	01	-						
			पटना	सीडब्ल्यूपी	14	04	02	08	28	03	00	00	01	-						
			रांची	पू.म.रे.	14	04	02	07	27	02	02	02	02	-						
				द.पू.रे.	00	03	01	05	09	01	00	00	00	-						
			सिकंदराबाद	पू.त.रे.	03	08	04	03	18	02	00	01	00	-						
			तिरुवनंतपुरम	द.रे.	00	05	12	03	20	02	00	02	01	-						

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर : ए-2 और सी-1 चिकित्सा श्रेणी के विभिन्न स्तर, जिन्हें उम्मीदवार को रेलवे में नियुक्ति से पूर्व पास करना होगा, बी - दृष्टिहीन, बीएल - दोनों टांगे, बीएलए - दोनों टांगे और दोनों बाजू, म.रे - मध्य रेलवे सीडब्ल्यूपी - कास्ट व्हील प्लांट, डीडी - डिमाण्ड ड्राफ्ट, डीएलडब्ल्यू - डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीएम डब्ल्यू - डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स, पूरे - पूर्वी रेलवे, पूमरे - पूर्वी मध्य रेलवे, पूतरे - पूर्व तट रेलवे, रोसू - रोज़गार सूचना, भूपूसै - भूतपूर्व सैनिक, जीपी - ग्रेड वेतन, श्रवि- श्रव्य विकलांग, आईसीएफ - इंटेग्रल कोच फैक्टरी, आईपीओ - भारतीय पोस्टल आर्डर, एलवी - कम दृष्टि, एमडब्ल्यू - मस्कुलर वीकनेस, एनओसी - अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उ.रे - उत्तर रेलवे, उमरे - उत्तर मध्य रेलवे, उपूरे - उत्तर पूर्वी रेलवे, उपरे - उत्तर पश्चिमी रेलवे, ओए - एक बाजू, ओएएल - एक बाजू और एक टांग, अपिव - अन्य पिछड़े वर्ग, अवि - अस्थि विकलांग, ओएल - एक टांग, शावि - शारीरिक विकलांग, रे - रेलवे, रेभबो - रेलवे भर्ती बोर्ड, आरएससी - रेलवे स्टाफ कालेज, आरडब्ल्यूएफ - रेल व्हील फैक्टरी, अजा - अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जनजाति, दरे - दक्षिणी रेलवे, दमरे - दक्षिण मध्य रेलवे, दपूरे - दक्षिण पूर्व रेलवे, दपूमरे - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दपरे - दक्षिणी पश्चिम रेलवे, अना - अनारक्षित (सामान्य), दृवि - दृष्टि विकलांग, परे - पश्चिमी रेलवे, पमरे - पश्चिम मध्य रेलवे.

सामान्य अनुदेश

1.01 किसी पद के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे सभी पात्रता मानकों को पूरा करते हैं/करती हैं. उम्मीदवार के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए. अंतिम परीक्षा के परिणाम का इंतजार करने वाले आवेदन न करें. यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानदंड पूरा नहीं करता है तो रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार के आवेदन को रद्द कर सकता है और यदि नियुक्ति हो जाती है तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से तत्काल हटा दिया जाएगा

1.02 ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से जीवन भर के लिए रोका गया है और उम्मीदवार जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए रोका गया है और वह अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है, इस रोजगार सूचना के प्रत्युत्तर में आवेदन न करें. पता लगने पर उनकी उम्मीदवारी को भर्ती के किसी चरण पर अस्वीकृत किया जा सकता है.

1.03 उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र स्वयं की लिखाई में भरने चाहिए तथा निर्धारित स्थानों पर अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना चाहिए. आवेदन पत्र अंग्रेजी में या हिंदी में भरने चाहिए. आवेदन केवल एक ओर प्रयोग करते हुए अच्छी गुणवत्ता के ए-4 आकार के बांड पेपर (80 जीएसएम) पर होना चाहिए. समाचार पत्र की कतरन को आवेदन के रूप में उपयोग न करें, बाजार से छपा हुआ आवेदन प्रपत्र खरीदने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि यह रोज़गार समाचार में प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र के समान हो. उम्मीदवार रोज़गार समाचार में दिए गए आवेदन प्रपत्र की फोटो कॉपी भी कर सकते हैं और तब विवरण भर सकते हैं. वे रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से भी अवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं. विस्तृत रोजगार सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यालय में सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की गई है. उम्मीदवार अंतिम तिथि से पर्याप्त पहले आवेदन भेजें. रेलवे भर्ती बोर्ड चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर डाक में विलंब/गलत सुपुर्दगी के लिए जिम्मेवार नहीं होगा.

1.04 उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र और सूचना शीट में प्रदत्त निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी या हिन्दी में हस्ताक्षर करना है. आवेदन प्रपत्र, सूचना शीट, उत्तर पत्र, प्रश्न बुकलेट और अन्य स्थानों पर हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए, **हस्ताक्षर रनिंग हैंड में होना चाहिए न कि बड़े अक्षर या अलग-अलग अक्षरों में. आवेदन लिखित परीक्षा** और प्रलेख सत्यापन के समय विभिन्न तरीके या भाषा में हस्ताक्षर से उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

1.05 एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए श्रेणियों को निम्न प्रकार समूहों में रखा गया है. तथा उम्मीदवारों को नीचे दर्शाई गई कोटियों के लिए एकल आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना है (वरीयता क्रम में पदों का उल्लेख करते हुए)

समूह I	केवल 60 रु. के शुल्क के साथ कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र
समूह II	केवल 60 रु. के शुल्क के साथ कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र
समूह III	केवल 60 रु. के शुल्क के साथ कोटि सं. 05 एवं 06 के लिए एकल आवेदन पत्र

(क) उम्मीदवारों को संयुक्त कोटियों के लिए ऊपर बताए अनुसार एकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा. आवेदन-पत्र में कोटियों की वरीयता क्रम का विधिवत उल्लेख करें. कोटियों की प्राथमिकता का उल्लेख करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है.

(ख) ऐसी संयुक्त कोटियों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी अर्थात उम्मीदवार को प्राथमिकता के अनुसार ऐसी संयुक्त श्रेणियों के भीतर सभी श्रेणियों के लिए आयोजित एकल परीक्षा में बैठना होगा. ऐसे उम्मीदवारों को सभी आवेदित कोटियों को शामिल करते हुए संयुक्त कोटियों के लिए एकल अनुक्रमांक आवंटित किया जाएगा.

(ग) चयन प्रक्रिया के बाद, उम्मीदवार को रेभबो द्वारा आवंटित कोटि अन्तिम होगी. कोटि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

(घ) उम्मीदवार संबंधित रेभबो को एकल (अलग-2 आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए नीचे पैरा 15 का संदर्भ लें.)

(ङ) एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन-पत्र होना चाहिए. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि रे.भ.बोर्ड एक सत्र में एक से अधिक समूह के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर सकते हैं.

1.06 उम्मीदवार द्वारा एक ही श्रेणी के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करने पर उसे रद्द कर दिया जायेगा और उन्हें नीचे पैरा 14.03 के अनुसार रेभबो परीक्षाओं से भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

1.07 उम्मीदवार नोट करें कि आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि को केवल मैट्रिक/उच्च विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि ही आरआरबी द्वारा स्वीकार की जायेगी.

1.08 सेवारत सुरक्षा कार्मिक जिसे अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर (अर्थात 16.03.2011 से) कार्य मुक्त किए जाने की संभावना है, भी भूतपूर्व सैनिक रिक्तियों के तहत आवेदन कर सकते हैं.

क्रमशः

1.09 ऊपर वर्णित सारणी में भूतपूर्व सैनिकों तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से रिक्तियां नहीं हैं बल्कि ये कुल रिक्तियों की संख्या में सम्मिलित हैं.

1.10 इस रोजगार समाचार में दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती है. प्रशासन को स्वयं के विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा. अधिसूचित रिक्तियों को रद्द किए जाने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा.

1.11 सभी परीक्षाओं की तिथि और परिणाम रोजगार समाचार और स्थानीय दैनिक पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं. इसे रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर भी दिया जाता है. लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र उम्मीदवारों को डाक द्वारा (डाक प्रमाण पत्र) के अंतर्गत भेजा जाता है. जिन उम्मीदवारों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाते हैं, उन्हें भी निरस्ती का कारण सहित डाक द्वारा सूचना दी जाती है. किसी खास पद के लिए योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों का ब्यौरा उस पद के लिए लिखित परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर रखा जाता है. रेभबो डाक में किसी देर/बुलावा पत्रों/निरस्ती पत्रों की गलत सुपुर्दगी के लिए जिम्मेवार नहीं होगा. आरआरबी लिखित परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा में नहीं चुने गए उम्मीदवारों को सूचना नहीं देता है.

1.12 रेभबो द्वारा चयन उम्मीदवार को रेलवे में नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है. रेभबो का कार्य संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के मुख्य कार्मिक अधिकारी को उपयुक्त उम्मीदवारों का नाम संस्तुत करना है, जो नियुक्ति प्रस्ताव का पत्र जारी करते हैं बशर्ते की रिक्तियां उपलब्ध हों और उम्मीदवार चिकित्सीय रूप से फिट हो और सभी पात्रता मानदण्ड को पूरा करता हो.

1.13 चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जहां भी पद के लिए प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है.

1.14 प्रारंभिक नियुक्ति पर परिलब्धियां पे-बैंड जमा ग्रेड-पे का न्यूनतम वेतन जमा उस समय लागू अन्य भत्ते होगा. प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू वजीफा का भुगतान किया जाएगा. उम्मीदवार को जहां भी आवश्यक हो प्रतिभूति जमा और क्षतिपूर्ति बंध पत्र देना होगा.

1.15 जबकि समुदाय पर विचार किए बिना अनारक्षित रिक्तियों के लिए सभी उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा. तथापि विशिष्ट समुदाय (अजा/अजजा/अपिव) के लिए निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध केवल उसी समुदाय/समूह से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा. इसके लिए अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों को परिशिष्ट-3 (अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए) और परिशिष्ट - 4 (अपिव उम्मीदवारों के लिए) पर दिए गए प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा अपिव उम्मीदवारों के मामले में यह विशेष रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.93 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/9-स्था. (एससीटी) और दिनांक 09.03.2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (रेस.) के जरिए इसके बाद के संशोधन में उल्लिखित व्यक्ति/शाखा (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं. **अपिव उम्मीदवार को परिशिष्ट-5 में दिए गए प्रपत्र में गैर-क्रीमीलेयर स्थिति का स्व-घोषणा संलग्न करनी चाहिए.** वे उम्मीदवार जो अपने आवेदन में अजा या अजजा या अपिव दर्शाते हैं और निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं समझा जायेगा.

1.16 अजा/अजजा/अपिव से संबंधित उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षिक/तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं, अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. तथापि उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी. अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों को आयु में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी.

1.17 लिखित परीक्षा या दक्षता परीक्षा/प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाये जाने पर अजा/अजजा से संबंधित उम्मीदवारों को, जब भी लागू हो, द्वितीय श्रेणी का रेलवे पास जारी किया जायेगा. बशर्ते कि वे वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

1.18 चयनित पुरुष उम्मीदवार जिन्हें अंततः नियुक्त किया जाता है को प्रादे. सेना की रेलवे इंजीनियरी इकाई में सक्रिय सेवा करनी पड़ सकती है.

1.19 महिला उम्मीदवार भी पात्र हैं. तथापि यह नोट किया जाए कि कुछ श्रेणियों की ड्यूटी कठिन प्रकृति की है और मुख्यालय से दूर के क्षेत्रों में विषम समय में शिफ्ट में ड्यूटी करनी होती है.

1.20 लागू नियमों के अनुसार इस रोजगार सूचना के नियम एवं शर्तों में बाद में कोई परिवर्तन लागू होगा. आरआरबी आवश्यक होने पर इस भर्ती के नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/जोड़ पर विचार/शामिल करने का अधिकार रखता है.

1.21 कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक रेभबो के लिए आवेदन करने को स्वतंत्र हैं लेकिन वह ऐसा स्वयं के जोखिम पर करेगा क्योंकि सभी रे.भ.बोर्डों की परीक्षा एक ही तिथि को होगी.प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक से अधिक श्रेणी की साथ-2 परीक्षा हो सकती है.

2.0 **आयु सीमा :** दर्शायी गई निचली और ऊपरी आयु सीमा की गणना 01.07.2010 को की जाएगी ऊपरी आयु सीमा में इस प्रकार छूट होगी. बशर्ते की अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए.

2.01 अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष.

2.02 अपिव उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष.

2.03 भूतपूर्व सैनिक के लिए सेना में की गई सेवा की सीमा तक जमा 3 वर्ष बशर्ते कि वे सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा की हो. अप्रेंटिस श्रेणियों के पदों अर्थात् ट्रेफिक अप्रेंटिस और वाणिज्यिक अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए आयु में अन्य सभी छूट सहित ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी.

2.04 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू और कश्मीर प्रभाग में सामान्यतः निवास करने वाले के लिए 5 वर्ष.

2.05 शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष (अजा/अजजा हेतु 15 वर्ष और अपिव हेतु 13 वर्ष).

2.06 सेवारत समूह 'ग' और समूह 'घ' रेलवे स्टाफ और अनियमित मजदूर प्रतिस्थापित के लिए ऊपरी आयु सीमा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और अपिव उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष तक की छूट होगी, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा (लगातार या खंडित) पूरी की हो. रेलवे संगठन के अर्द्ध प्रशासनिक कार्यालयों अर्थात् रेलवे कैंटीन, सहकारी सोसायटी और संस्थानों में काम करने वालों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट उनके द्वारा की गई सेवा अवधि तक होगी, जो अधिकतम 5 वर्ष होगी.

2.07 विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में ऊपरी आयु सीमा में सामान्य श्रेणी के लिए 35 वर्ष तक, अपिव के लिए 38 वर्ष तक और अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक की छूट होगी.

2.08 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट नहीं होगी.

2.09 विभिन्न आयु वर्ग के लिए उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए (दोनों तिथि शामिल).

क्र.सं.	आयु वर्ग	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा			सभी के लिए निचली जन्म तिथि सीमा	अभ्युक्ति
		अना	अपिव	अजा/अजजा		
1.	18-33	02.07.1977	02.07.1974	02.07.1972	01.07.1992	पैरा 2.03 से 2.08 में सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए दिखाई गई आयु छूट लागू होगी.

3.0 **परीक्षा शुल्क**

3.01 अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग/महिलाओं/अल्पसंख्यकों/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000 से अधिक नहीं है, कोई परीक्षा शुल्क नहीं है.

3.02 अनारक्षित पुरुष/अपिव पुरुष उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए 60रु. का परीक्षा शुल्क निर्धारित है. उम्मीदवारों को ऊपर पैरा 1.05 में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रत्येक समूह के लिए परीक्षा शुल्क के तौर पर अलग-2 आईपीओ/डीडी के साथ अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए.

3.03 आवेदन-शुल्क अप्रतिदेय है. इस का भुगतान छः माह की अवधि के लिए वैध रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की मुख्य शाखा में देय हो, या नीचे पैरा 15 में वर्णित संबंधित रेभबो के **सहायक सचिव** या **सदस्य सचिव** या **अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड** के पक्ष में जारी रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में किया जा सकता है. बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर उस स्थान पर देय होना चाहिए जहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित है. भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट इस रोज़गार सूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व या आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त न किया गया हो.

3.04 उम्मीदवारों को बैंक ड्राफ्ट के पीछे/भारतीय पोस्टल आर्डर में सामने की तरफ उपलब्ध कराए गए स्थान में रोजगार सूचना सं. आवेदित पद के नाम, पद की कोटि संख्या/और उनके नाम तथा डाक पते का उल्लेख करना चाहिए.

3.05 बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के अलावा किसी अन्य रूप में परीक्षा शुल्क के भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

3.06 परीक्षा शुल्क के तौर पर प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर का विवरण आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर (सूचना शीट की पद सं. 5) भी करना चाहिए.

3.07 जिस आवेदन-पत्र के साथ फीस के तौर पर अपेक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न नहीं होगा, उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा.

3.08 अल्पसंख्यकों से आशय मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और ज़ोरोट्रियन्स (पारसी) से है. परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को परिशिष्ट 08 में किए गए उल्लेख के अनुसार "स्वयं-घोषणा" आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए. दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे उम्मीदवारों को, जो कि परीक्षा शुल्क मे छूट का दावा कर रहे हैं, ग़ैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि यह ऊपर वर्णित किसी एक समुदाय से संबंधित हैं. यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान शपथपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया तो उसकी उम्मीदवारी नामंजूर कर दी जाएगी."

3.09 आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों का अर्थ है वे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000 से कम है. उन्हें परिशिष्ट-7 में दर्शाए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा. यह प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के लैटर हैड में, जैसा कि परिशिष्ट-7 में उल्लेख है, होना चाहिए.

4.0 **कैसे आवेदन करें :**

4.01 परिशिष्ट - 1 और 2 के अनुसार आवेदन प्रपत्र उम्मीदवार द्वारा नीला या काला बॉल पेन (पेंसिल फाउंटेन पेन या जैल पेन में नहीं) से अपने हाथ से भरा जाना चाहिए केवल अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं अर्थात 1,2,3 का प्रयोग करें. रोजगार समाचार में दिए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए आवेदन पत्र सिर्फ अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाना चाहिए. बडे अक्षरों/अलग-अलग अक्षरों में हस्ताक्षरित आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा.

4.02 उम्मीदवार का नाम, पिन कोड सहित पता, जन्म तिथि, पिता का नाम और नजदीकी रेलवे स्टेशन सुपाठ्य अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, चाहे उम्मीदवार आवेदन पत्र हिन्दी में भरे.

4.03 **फोटो :** बिना टोपी और चश्मे के उम्मीदवार का साफ पासपोर्ट आकार का हाल का (आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पूर्व का नहीं) रंगीन फोटो आवेदन पत्र पर दिए गए स्थान में चिपकाया जाना चाहिए, फोटो की जीरोक्स प्रति की अनुमति नहीं है, उम्मीदवार को फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में हस्ताक्षर करना चाहिए. उम्मीदवार का नाम और श्रेणी संख्या फोटो के पीछे लिखकर एक इसी तरह का अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का फोटो आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिए. उम्मीदवार यह नोट करें कि आरआरबी आवेदन पर पुराना/अस्पष्ट फोटो चिपकाने पर या आवेदन पर चिपकाये गए फोटो और उम्मीदवार की वास्तविक सूरत के बीच पर्याप्त अंतर होने पर इसे किसी भी चरण में अस्वीकार कर सकता है.

4.04 आवेदन पत्र के मद सं. 9 में उम्मीदवार को नाक पर तिल, ललाट पर बायीं ओर कटे का निशान या बायें हाथ के नीचे धब्बा आदि जैसी अपने शरीर पर स्पष्ट दृश्य पहचान का चिह्न दर्शाना चाहिए. स्पष्ट पहचान चिह्न का उल्लेख न करने पर उम्मीदवार के आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है.

4.05 उम्मीदवार को सूचना शीट के मद सं. 13 पर पैराग्राफ को रनिंग लिखावट में अपने हाथ (बड़े/बीच में स्थान वाले अक्षरों में नहीं) से उतारना चाहिए, अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा.

4.06 उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र और सूचना शीट में निर्धारित स्थान पर अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं. अंगूठे का निशान स्पष्ट और पूरा होना चाहिए. अंगूठे के निशान की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए.

4.07 अस्पष्ट, अपूर्ण, बड़े अक्षरों में हस्ताक्षरित, निर्धारित प्रपत्र में नहीं, उम्मीदवार के फोटो के बिना भारतीय पोस्टल ऑर्डर/डीडी के बिना या रोजगार सूचना के जारी होने के पहले या अंतिम तिथि के बाद खरीदे गए आईपीओ/डीडी वाले आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा.

4.08 आवेदन वाले लिफाफे पर स्पष्ट रूप से " .... पद .... रोजगार सूचना सं. 02/2010 और समुदाय (अजा/अजजा/अपिव/विकलांग व्यक्ति/भूपूसै)" लिखा होना चाहिए. यदि आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर पद और श्रेणी संख्या नहीं लिखा जाता है, तो उस विचार नहीं किया जाएगा.

5.0 **संलग्नक :**

प्रत्येक उम्मीदवार के लिए लागू निम्नलिखित संलग्नकों को दिए गए क्रम में आवेदन पत्र के साथ अच्छी तरह संलग्न किया जाना चाहिए.

5.01 निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (जैसा कि परिशिष्ट-1 में दिया गया है).

5.02 निर्धारित प्रपत्र में सूचना शीट (जैसा कि परिशिष्ट-2 में दिया गया है).

5.03 रोज़गार सूचना में निर्धारित राशि का वैध भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट.

5.04 आवेदन पत्र के साथ अच्छी तरह संलग्न समान पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो की एक प्रति (प्रपत्र पर चिपकाई गई को छोड़कर)

5.05 जन्म तिथि दर्शाने वाला मैट्रिक/उच्च विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति

5.06 आवेदित पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और/या व्यावसायिक योग्यता की स्व-सत्यापित प्रति.

5.07 अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रति (जैसा कि परिशिष्ट-3 और 4 में दिया गया है). परिशिष्ट-5 में दिए गए प्रपत्र में गैर क्रीमीलेयर स्थिति के संबंध में अपिव उम्मीदवार से स्व-घोषणा.

5.08 अशक्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र (जैसा की परिशिष्ट-9 में दिया गया है) में अशक्तता प्रमाण पत्र.

5.09 दृष्टि विकलांग उम्मीदवार/जिनकी लिखने की गति प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण प्रभावित है, परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब संबंधी घोषणा-प्रपत्र (जैसा कि परिशिष्ट-10 में दिया गया है)

5.10 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को निर्मुक्ति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना चाहिए. उन्हें अपनी शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं की तुल्यता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए.

5.11 यदि पहले से ही रेलवे या अन्य सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत हैं, तो सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र.

5.12 किसी अन्य तरह की आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार के मामले में अपेक्षित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटो प्रति.

5.13 परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परिशिष्ट-7 में दर्शाए अनुसार सक्षम प्राधिकारी के लैटर हैड पर निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण-पत्र.

5.14 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए "अल्पसंख्यक स्वयं घोषणा" (जैसा की परिशिष्ट-8 में दिया गया है)

6.0 **अवैध आवेदन**

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि रेभबो को आवेदन भेजने से पहले सभी अनुदेशों को अच्छी तरह पढ़ लें. अन्यथा उनके आवेदन पत्र को निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से निरस्त किया जा सकता है. यदि आवेदन निरस्त किया जाता है, तो निरस्त करने के कारण के संबंध में उम्मीदवार को डाक द्वारा सूचित किया जाएगा.

6.01 रोजगार अधिसूचना के खुलने की तिथि से पहले या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन.

6.02 आवेदन-पत्र में कॉपी नहीं किए गए (या) बड़े अक्षरों में कॉपी किए गए अनुच्छेद.

6.03 हस्ताक्षर के बिना (या) बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर वाले आवेदन.

6.04 आवेदन-पत्र में और सूचना शीट पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान नहीं होने पर/अस्पष्ट/धुंधला का होने पर.

6.05 अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की प्रतियां संलग्न न किया जाना [(i) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र जैसे कि मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल परीक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र, (ii) शैक्षणिक और/या व्यावसायिक प्रमाण-पत्र, (iii) अजा/अजजा/अपिव के लिए समुदाय प्रमाण-पत्र, (iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज़ प्रमाण-पत्र, (v) अशक्त व्यक्तियों के लिए अशक्तता प्रमाण पत्र, (vi) परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण-पत्र, (vii) परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए "स्वयं-घोषणा" आदि]

6.06 निर्धारित प्रारूप में नहीं होने वाले या क्रीमी लेयर के स्वघोषणा के बिना 'अपिव' प्रमाण-पत्र (अपिव हेतु छूट पर विचार करने के लिए).

6.07 स्व-प्रमाणित दृष्टि प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर (या) अपूर्ण होने पर (एएलपी/एएसएम/मोटरमैन पदों के लिए) यह पैरा इस अधिसूचना की कोटियों के लिए लागू नहीं है.

6.08 शुल्क-पोस्टल ऑर्डर/डीडी के संलग्न नहीं होने या कम शुल्क संलग्न करने या अवैध आईपीओ/डीडी अर्थात रोजगार अधिसूचना की तिथि जारी करने से पहले या उसके बाद जारी.

6.09 पहचान चिन्ह वाले कॉलम के भरे नहीं होने पर.

6.10 आवेदन की तिथि को पद हेतु निर्धारित अर्हता नहीं रखते हों.

6.11 अधिक आयु या कम आयु डीओबी भरे नहीं होने या गलत भरे होने पर.

6.12 समान रेभबो में समान पद हेतु जमा किए गए दोगुने या बहु आवेदन.

6.13 फोटो के बिना (या) टोपी, धूप चश्मा पहने, विरूपित पहचाने नहीं जाने वाले या स्कैन किए हुए फोटो या छायाप्रति वाले आवेदन.

6.14 एक लिफाफा में एक से अधिक आवेदन.

6.15 उम्मीदवार का नाम रोके गए व्यक्तियों की सूची में लिखा होने पर.

6.16 अपूर्ण/अपठनीय आवेदन.

6.17 निर्धारित प्रारूप में नहीं होने वाले आवेदन.

6.18 नहीं भरे गए तथा गलत तरीके से भरे गए कोटि/पद.

6.19 अन्य रे.भ.बोर्ड के पते पर आवेदन.

6.20 अंग्रेजी/हिंदी के अतिरिक्त किसी भाषा में भरे गए आवेदन.

6.21 अन्य कारण. जो कि रेभबो की राय में अवैध हो.

7.0 भर्ती प्रक्रिया

7.01 चयन दो चरण की लिखित परीक्षा के आधार पर पूर्णतः मेधा के अनुसार किया जाएगा. इसके अलावा कनि. लेखा सहायक सह टंकण/वरि. लिपिक सह टंकण के पद के लिए अर्हक कौशल परीक्षा भी आयोजित की जायेगी. लघुसूचीकृत उम्मीदवारों को मेधा, रिक्तियों की उपलब्धता और आरक्षण नियमों के अनुसार मूल प्रलेखों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा.

7.02 लिखित परीक्षा में निगेटिव अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जायेंगे.

7.03 लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य रूप से पद हेतु निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता मानदण्डों के अनुरूप होंगे. प्रश्न बहु उत्तर सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें सामान्य ज्ञान, अंक गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग तथा सामान्य हिंदी/सामान्य अंग्रेजी भाषा से संबंधित होंगे. प्रश्न पत्र अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और नीचे पैरा 15 में किए गए उल्लेख अनुसार स्थानीय भाषा में होगा. परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी जिसमें लगभग 100 से 120 प्रश्न होंगे.

7.04 रेलवे भर्ती बोर्ड स्वयं के विवेक पर जैसा कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उचित समझा जायेगा सभी या सीमित संख्या में उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त लिखित अथवा दक्षता परीक्षा का आयोजन कर सकता है.

7.05 लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षा की तिथि, समय और स्थान रेभबो द्वारा तय किया जाएगा और इसकी सूचना पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी. परीक्षा/दक्षता परीक्षा को स्थगित करने और केन्द्र/स्थान के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.

7.06 परीक्षा का चरण प्रत्येक पद के सामने दिया गया है. परीक्षा में उम्मीदवारों के निष्पादन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जावेगा. इसके अलावा 30% अतिरिक्त उम्मीदवारों को भी तैयार रहने वाले उम्मीदवारों के रूप में बुलाया जायेगा और उन्हें केवल पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जायेगा: यदि मुख्य सूची से पैनल में कमी होती है. प्रलेख सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और सत्यापन की तिथि को अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करनें वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी समाप्त समझी जायेगी.

7.07 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके द्वारा रेलवे प्रशासन द्वारा संचालित अपेक्षित चिकित्सा स्वस्थता जांच उत्तीर्ण करने, शैक्षिक और समुदाय प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवार के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अध्याधीन होगी.

8.0 चिकित्सा मानदंड

नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा संचालित अपेक्षित चिकित्सा स्वस्थता परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तीर्ण करनी होगी कि उम्मीदवार पद से संबंधित कार्यों को करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है. दृष्टि तीक्ष्णता मानदण्ड रेलवे स्टाफ के मेडिकल फिटनेस का महत्वपूर्ण मानदंड है. विभिन्न कोटियों के चिकित्सा मानदंड नीचे दिए गए हैं :

क. ए-2 : सभी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ. दृष्टि मानदंड दूर दृष्टि : 6/9, 6/9 बिना चश्मे के निकट दृष्टि : स्नेलेन 0.6, 0.6 बिना चश्मे के रंग पहचान दृष्टि, बायनोक्यूलर दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र तथा रात्रि दृष्टि मौजूद होनी चाहिए.

ख. सी-1 : सभी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ. दृष्टि मानदंड दूर दृष्टि : 6/12, 6/18 चश्मे सहित या चश्मे के बिना. निकट दृष्टि : पढ़ना या ध्यानपूर्ण कार्य करते समय चश्मे सहित या चश्मे के बिना स्नेलेन 0.6, 0.6.

टिप्पणी :

(क) उपर्युक्त चिकित्सा मानदंड (मानक) सांकेतिक हैं और अंतिम नहीं हैं तथा ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं.

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए भिन्न मानदंड लागू होते हैं.

9.0 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार :

समुदाय के बनिस्पत इस रोजगार सूचना में भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ रिक्तियां आरक्षित हैं. तथापि भूतपूर्व सैनिक अन्य पदों, जो उनके लिए निर्धारित नहीं हैं, के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें आयु में छूट और शुल्क में छूट दी जाएगी जैसा कि क्रमशः पैरा 2.03 और 3.01 में दिखाया गया है.

9.01 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ है ऐसे उम्मीदवार जो भारतीय संघ के नियमित सेना, नौ-सेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा कर चुके हों किंतु, रक्षा सुरक्षा शिविर, सामान्य रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना तथा पैरा मिलिट्री बलों में सेवा कर चुके उम्मीदवार के रूप में शामिल नहीं हों तथा

9.02 अपने पेंशन प्राप्त करने के बाद उस सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हों, या

9.03 मिलिट्री सेवा में आरोपित चिकित्सा आधार पर उस सेवा से या उनके नियंत्रण से अलग परिस्थितियों में सेवामुक्त किया जा चुका हो तथा मिलिट्री सेवा या विकलांगता का अन्य पेंशन मिल चुकी हो, या

9.04 उस स्थापना में कमी के रूप में उनके स्वयं के अनुरोध के अतिरिक्त अन्द तरीके से सेवामुक्त किया जा चुका हो, या

9.05 उनके स्वयं के अनुरोध के अतिरिक्त नियोजन की विशिष्ट अवधि पूरा करने के बाद या कदाचार या दक्षता न होने पर बरखास्तगी या सेवामुक्ति द्वारा उस सेवा से सेवामुक्त किया गया हो तथा ग्रेच्युटी दी गई, हो तथा जिसमें निम्नांकित कोटियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हों : (क) सतत सम्मिलित सेवा के पेंशन धारक, (ख) मिलिट्री सेवा में दी गई विकलांगता पेंशन तथा (ग) शौर्य पुरस्कार विजेता.

9.06 सशस्त्र बलों में 15 वर्ष की सक्रिय सेवा वाले मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिकों पर उक्त पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र के रूप में विचार किया जाएगा. जिसके लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय डिग्री है, बशर्ते मिलिट्री प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए. **स्पष्टीकरण :** सेवा से सेवामुक्त संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत कार्मिक भूतपूर्व सैनिक कोटि के अधीन होंगे, उन्हें नियोजन की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु उपलब्ध सभी रियायत स्वयं प्राप्त करने से पहले एक वर्ष के पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति होगी, किंतु उन्हें संघ के सशस्त्र बलों में नियोजन की विशिष्ट शर्तों के पूरा करने तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. ग्रुप सी/डी में केंद्र सरकार के अधीन पहले से रोजगार प्राप्त कर चुके भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप सी/डी में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में अन्य रोजगार प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट की अनुमति होगी. तथापि, ऐसे उम्मीदवारों पर केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिक कोटा के अधीन विचार किया जाएगा.

9.07 भूतपूर्व सैनिक से अनुरोध है कि वे समुदाय सहित सभी अपेक्षित विवरण का उल्लेख आवेदन पत्र में करें और निर्धारित प्रपत्र में समुदाय प्रमाण पत्र, जैसा कि अपेक्षित है, सहित सभी प्रलेखीय प्रमाण संलग्न करें.

10.0 अपंग/विकलांग अभ्यर्थी (पीडब्ल्यूडी)

10.1 अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों का उल्लेख प्रत्येक पद के समक्ष किया गया है कुछ पदों के संबंध में निश्चित रिक्तियां विकलांग अभ्यर्थी हेतु सुरक्षित हैं. इसके अतिरिक्त वे सामान्य अभ्यर्थियों के समान अपने संबंधित समुदाय जैसे : अनारक्षित/अजा/अजजा/अपिव में भी आवेदन कर सकते हैं. वे उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त माना गया हो भले ही उनके लिए कोई अलग से रिक्तियां न की गई हो.

10.2 छूट : (1) अपंग/विकलांग अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा भले ही वह विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त पद के रूप में उपस्थित या चिन्हित किया गया हो. (2) ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट-यह छूट प्रदान की जाएगी चाहे पद आरक्षित हो या नहीं बशर्ते पद को विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त पद के लिए उपयुक्त पद के रूप में चिन्हित किया गया हो. इसके अतिरिक्त अपिव एवं अजा/अजजा उम्मीदवार क्रमशः तीन एवं पांच वर्ष की सामान्य छूट के लिए योग्य हैं.

10.3 **अपंगता की परिभाषा :** भर्ती के उद्देश्य के अंतर्गत विकलांगता की कोटियों की परिभाषा निम्नवत है :

(क) **अंधापन :** अंधापन वह दशा है जहां पर मनुष्य किसी निम्नवत् परिस्थिति का शिकार होता है (1) पूर्ण दृष्टिहीनता या (2) अपेक्षाकृत बेहतर क्षमता वाली आंख की लेंस सहित दृष्टि क्षमता 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं होनी चाहिए (3) दृष्टिक्षेत्र से स्थिरता 20 अंश का कोण बनाती हुई या और खराब (ख) **कम दृष्टि :** कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनकी चिकित्सा या मानक अपवर्तन सुधार के बाद भी दृष्टि प्रक्रिया क्षीण हो गई है. लेकिन जो उपयुक्त सहायक उपकरण की मदद से कार्य के नियोजन पर कार्यान्वियन में दृष्टि का इस्तेमाल कर सकता है, (ग) **श्रवण क्षीणता :** श्रवण क्षीणता का अर्थ है कि मनुष्य की बात सुनने की क्षमता में 6 डिसाइबल या अधिक की क्षति होना, (घ) **गति अपंगता :** गति शीलता संबंधी अपंगता का तात्पर्य है हड्डियों की विकलांगता जोड़ या जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता जो शरीर के भाग हाथ, पैर को हिलाने में अवरोध उत्पन्न करती हैं. जो एक प्रकार का पक्षाघात होता है. (ङ) **सेरेब्रल पक्षाघात :** सेरेब्रल पक्षाघात का अर्थ है एक व्यक्ति की प्रगतिशीलता का ह्रास होना जो असंतुलित वाहन चलाने के फलस्वरूप आयी दिमागी चोट या बचपन की दिमागी चोट के कारण घटित होती है, (च) सभी अस्थि अपंग अभ्यर्थी गति अपंगता या पक्षाघात कोटि के अंतर्गत माने जाएंगे.

10.4 **आरक्षण हेतु अपंगता की श्रेणी/प्रतिशत :** केवल ऐसे अभ्यर्थी सेवा में आरक्षण के पात्र होंगे जो विकलांगता में 40 प्रतिशत से कम न हो. अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उसे (परिशिष्ट-9 के अनुसार) उपयुक्त अधिकारी द्वारा निर्गत अपंगता प्रमाण पत्र लगाना होगा.

10.5 **अपंगता प्रमाण जारी करने वाले उपयुक्त अधिकारी :** विकलांगता प्रमाण पत्र केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक गतिक्षीणता/पक्षघात/श्रवण/दृष्टि, उपंगतानुसार विशेषज्ञ होंगे.

10.6 **दृष्टि अपंगता वाले अभ्यर्थी :** वे अभ्यर्थी जिनकी लिखने की क्षमता पक्षाघात के कारण क्षीण हो चुकी है वे स्वयं के लिए लिखाई हेतु सहायक का प्रयोग कर सकते हैं. लिखाई सहायक हेतु अभ्यर्थी को पहले से रेल भर्ती बोर्ड को सूचित करना होगा. परिशिष्ट-10 के अनुसार लिखाई सहायक का उपयोग निम्न दशा में होगा. (क) अभ्यर्थी को अपना लिखाई सहायक स्वयं के खर्च पर परीक्षा के दौरान लाना होगा. लिखाई सहायक को अपंग अभ्यर्थी के साथ अलग से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. प्रवेश पत्र में लिखाई सहायक का विवरण, फोटो हस्ताक्षर सहित लगाया जाएगा. (ख) लिखाई सहायक की शैक्षिक योग्यता पर जिसके लिए भर्ती की जा रही है, से एक स्तर नीचे की होनी चाहिए. लिखाई सहायक की योग्यता का विषय अभ्यर्थी की योग्यता से भिन्न होना चाहिए. लिखाई सहायक ने उक्त (ख) में वर्णित शैक्षिक योग्यता में 60 प्रतिशत से अधिक अंक न अर्जित किए हों; (घ) अभ्यर्थी एवं लिखाई सहायक को उचित शपथ पत्र (परिशिष्ट-10 देना होगा) कि लिखाई सहायक सभी सक्षमता मानक को उपरोक्त फार्म अनुसार पूरा करता है. यदि बाद में ज्ञात होता है कि लिखाई सहायक ने सक्षमता मानक को पूरा नहीं किया या कुछ छिपाया है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन, परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा. लिखाई सहायक की अभद्रता का उत्तरदायी, उसे लाने वाला अभ्यर्थी होगा. दृष्टिहीन अभ्यर्थी एवं पक्षघात के कारण जिन अभ्यर्थी की लिखाई क्षमता क्षीण हो गई है उन्हें **परिशिष्ट-10** के अनुसार शपथ पत्र अपने आवेदन के साथ लगाना होगा.

10.7 सभी एक नेत्र वाले एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थी जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम है उन्हें विकलांगता कोटि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं उन्हें लिखाई सहायक नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी.

10.8 सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और केवल जो अभ्यर्थी रेलवे चिकित्सा मैनुअल एवं अन्य मौजूद व्यवस्थाओं के मानक अनुरूप सफल होंगे वही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, चयन मात्र ही रेलवे में नियुक्ति का संकेत नहीं है.

11. **सेवारत कर्मचारी :** किसी भी सरकारी विभाग या रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सेवारत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए या देरी से बचने के लिए नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ सीधे रे.भ.बो. वे को आवेदन करना चाहिए.

12. **ऑन-लाइन पंजीकरण :**

12.1 उम्मीदवार के पास अपने आवेदन-पत्र ऑन लाइन भरने अर्थात ऑन लाइन पंजीकरण का विकल्प होगा. इसके लिए उन्हें संबंधित रेभबो की वेबसाइट पर जाना होगा तथा वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र तथा सूचना शीट को भरना होगा. वर्तमान में ऑन लाइन आवेदन पत्र पंजीकरण की सुविधा केवल रेभबो बंगलौर, चेन्नै, मुबंई, पटना, रांची और तिरूअनंतपुरम में है. उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन प्रपत्र तथ सूचना शीट का प्रिन्ट-आउट ले लेना चाहिए. अपना पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं, अपने हस्ताक्षर करें तथा संगत स्थान पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं, सूचना शीट की मद सं. 13 में दिये गए पैरा की कॉपी करें तथा इसे संबंधित रेभबो को प्रेषित करें. साथ में परीक्षा शुल्क (जहां कहीं लागू है), जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक और/या व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अजा/अजजा/अपिव प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 5 में दी गई अपिव की स्वयं-घोषणा, भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, अशक्त व्यक्तियों के मामले में अशक्तता प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा अल्पसंख्यक स्वयं घोषणा तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र. यदि ऊपर वर्णित ऑन-लाइन आवेदन-पत्र की प्रति, आवश्यक परिशिष्टों के साथ अन्तिम तिथि तक संबंधित रेभबो में नहीं प्राप्त नहीं हुई तो ऑन लाइन पंजीकरण अवैध हो जाएगा.

13. **विविध :**

13.1 सभी अनुलग्नक सहित पूरी रोजगार सूचना रे.भ. बोर्डों के वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी. उम्मीदवार अनुलग्नक के साथ आवेदन पत्र और सूचना शीटों को प्रिंट कर सकते हैं और आवेदन भेजने के लिए उपयोग कर सकते हैं.

13.2 सभी अनुलग्नक केवल या तो अंग्रेजी में या हिन्दी में होना चाहिए. जहां प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिन्दी में नहीं हैं, स्व-प्रमाणित अनूदित रूप (हिन्दी/अंग्रेजी में) संलग्न किया जाना चाहिए. अपेक्षित अनुलग्नक के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा. अलग से भेजा गया उपर्युक्त में से किसी अनुलग्नक पर विचार नहीं किया जाएगा.

13.3 आरआरबी देश में कहीं भी लिखित/ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर सकता है. रेभबो द्वारा आवंटित केन्द्र अंतिम और बाध्यकारी होगा.

क्रमशः

13.4 रेभबो किसी भी चरण पर अतिरिक्त लिखित/ऑनलाइन परीक्षा/टंकण दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार/प्रलेख सत्यापन करने का अधिकार रखता है. रेभबो बिना कोई कारण बताए इस रोजगार सूचना में अधिसूचित किसी श्रेणी के लिए किसी भी चरण पर किसी भर्ती प्रक्रिया को आंशिक रूप से या पूरी तरह निरस्त करने का भी अधिकार रखता है.

13.5 पात्रता, आवेदन पत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति, निःशुल्क रेलवे पास जारी करने, गलत सूचना के लिए दंड, चयन की पद्धति, लिखित/ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार, दक्षता/अभिरुचि परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केन्द्र का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों को आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेभबो का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा.

13.6 अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को जरूरत पड़ने पर भारतीय रेलवे में कहीं भी तैनात किया जा सकता है.

13.7 अनजाने में हुई गलती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा.

13.8 इस केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना के कारण उपजा कोई भी विवाद संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होगा, जिसके तहत रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित है.

13.9 व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेज़ी रूपान्तर को अन्तिम माना जाएगा.

14. **तथ्यों को छिपाया जाना/छद्मरूपण/चेतावनी**

14.1 कोई भी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण या किसी प्रतिरुपक सहायता लेने का प्रयास नहीं करेगा. अन्यथा उम्मीदवारों को सभी रेभबो परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जीवन भर के लिए रोक दिया जायेगा और रेलवे में किसी भी नियुक्ति से रोक दिया जायेगा. इसके अलावा उम्मीदवारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

14.2 तथ्यों के किसी वस्तुपरक दमन या परीक्षा में शामिल होने के लिए निःशुल्क यात्रा पास सहित पात्रता प्राप्त करने और/अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार द्वारा जाली प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र जमा करने से उसे खास भर्ती, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है. इसके अलावा उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए पूरे देश में सभी रेभबो द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से रोक भी दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है.

14.3 उम्मीदवार को एक निर्धारित अवधि/जीवन भर के लिए रेभबो की सभी परीक्षाओं से रोक दिया जाएगा यदि (i) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए कई आवेदन प्रस्तुत करता है. (ii) उम्मीदवार एक ही पद या श्रेणी के लिए विभिन्न समुदाय के साथ कई आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है. (iii) उम्मीदवार एक पद या श्रेणी के लिए विभिन्न फोटो के साथ कई आवेदन करता है; और (iv) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई आवेदन करता है.

14.4 परीक्षा में गलत तरीकों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर या परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी जगह किसी और को भेजने पर उम्मीदवार को जीवन भर के लिए सभी आरआरबी की सभी परीक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा. उन्हें रेलवे में किसी नियुक्ति से भी रोक दिया जाएगा. ऐसे उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

14.5 रेभबो को कोई भी झूठी सूचना प्रस्तुत करने या किसी भी चरण में जानबूझकर कोई भी सूचना छिपाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य [illegible] जा सकता है तथा रेलवे में नियुक्ति हेतु किसी परीक्षा का चयन से या किसी सरकारी सेवा से प्रतिबंधित किया जा सकता है और यदि नियुक्ति हो जाती है तो ऐसे उम्मीदवारों की सेवा समाप्त की जा सकती है.

14.6 **चेतावनी**

आप रेलवे में प्रभाव द्वारा या अनुचित और अनैतिक साधनों द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने की झूठी प्रतिज्ञाओं द्वारा ठगने की कोशिश करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले ठगों से सावधान रहें, रेलवे भर्ती बोर्ड में अपनी ओर से कार्य करने के लिए कोई एजेंट या कोचिंग केन्द्र नहीं बनाया है. उम्मीदवारों को किसी व्यक्ति, एजेंसी द्वारा किए गए ऐसे दावों के विरुद्ध सावधान किया जाता है. उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेधा के अनुसार किया जाता है. कृपया बेईमान व्यक्तियों से सावधान रहें और उनके जाल में नहीं फंसे. रेभबो को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

15. इस संबंध में विवरण कि आवेदन-पत्र किस पते पर भेजें, एकल आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु श्रेणी का समूहीकरण, आईपीओ/डीडी, किसके पक्ष में हो तथा स्थानीय भाषा का विकल्प आदि नीचे दिया गया है :-

रे.भ.बो. का नाम	वेबसाइट पता और फोन नंबर	आवेदन पत्र भेजने का पता	एकल/अलग-अलग आवेदन पत्र	डीडी/आईपीओ/किसके पक्ष में हो	स्थानीय भाषा का विकल्प (हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू के अलावा)
अहमदाबाद	www.rrbahmedabad.gov.in 079-22940858	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, प्रथम तल, मीटर गेज रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, अहमदाबाद-380022	(i) कोटि सं. 01 के लिए अलग आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 05 और 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, अहमदाबाद, अहमदाबाद में देय	गुजराती
अजमेर	www.rrbajmer.org 0145-2423292	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, 2010, नेहरू मार्ग, निकट अम्बेडकर सर्कल, अजमेर-305028	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 एवं 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर, अजमेर में देय	गुजराती, पंजाबी
इलाहाबाद	www.rrbald.nic.in 0532-2430472	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, जीएम (एनसीआर बिल्डिंग के सामने, निकट सूबेदारगंज रेलवे अस्पताल, सूबेदारगंज, इलाहाबाद-211033)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 और 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद, इलाहाबाद में देय	—
बंगलौर	www.rrbbnc.gov.in 080-23330378	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, 18, मिलर्स रोड, बंगलौर-560046	(i) कोटि सं. 02 के लिए अलग आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 और 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, बंगलौर, बंगलौर में देय	कन्नड, तमिल, तेलुगु, मराठी, कोंकणी
भोपाल	www.rrbbpl.nic.in 0755-2746660	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, ईस्ट कालोनी, भोपाल-462053	(i) कोटि सं. 02 के लिए अलग आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल, भोपाल में देय	गुजराती
भुवनेश्वर	www.rrbbbs.gov.in 0674-2303015	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, डी-79/80, रेल विहार, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023 (उड़ीसा)	(i) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 05 एवं 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में देय	उड़िया, तेलुगु
बिलासपुर	www.rrbbilaspur.gov.in 07752-247291	सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, दपूम रेलवे मुख्यालय - महाप्रबंधक कार्यालय के पीछे, कार्यालय परिसर, बिलासपुर-495004 (छत्तीसगढ़)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए अलग आवेदन पत्र	सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर, बिलासपुर में देय	मराठी, उड़िया
चंडीगढ़	www.rrbcdg.org 0172-2793414	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, एससीओ नं. 34, द्वितीय तल, सेक्टर 7 सी, चंडीगढ़-160019	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 04 के लिए अलग आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ, चंडीगढ में देय	पंजाबी
चेन्नै	www.rrbchennai.net 044 - 28275323	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, 5 डॉ. पीवी चेरियन क्रीसेन्ट रोड, एथिराज कालेज के पीछे, इग्मोर, चेन्नै-600028	(i) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 05 के लिए अलग आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, चेन्नै, चेन्नै में देय	तमिल, तेलुगु
गोरखपुर	www.rrbgkp.gov.in 0551-2201209	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, स्टेशन रोड, गोरखपुर-273012	(i) कोटि सं. 01 के लिए अलग आवेदन पत्र	अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर, गोरखपुर में देय	—
जम्मू-श्रीनगर	www.rrbjammu.nic.in 0191-2476757	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे कालोनी (पश्चिम) जम्मू-180012	(i) कोटि सं. 01 के लिए अलग आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 04 के लिए अलग आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए अलग आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू, जम्मू में देय	पंजाबी
कोलकाता	www.rrbkolkata.org 033-25432004	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मेट्रो रेलवे, एवी काम्पलेक्स (आरजी कार मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के सामने), आरजी कार रोड, कोलकाता-700037 (पं.बं)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 04 के लिए अलग आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, कोलकाता, कोलकाता में देय	बंगाली
मालदा	www.rrbmalda.gov.in 03512-264567	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, कालाबाड़ी रेलवे कालोनी, पो.आ. झलझलिया, मालदा-732102 (पं.बं)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मालदा, मालदा में देय	बंगाली
मुंबई	www.rrbmumbai.gov.in 022-23090422	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मन्डल कार्यालय परिसर, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400202	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 के लिए अलग आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई, मुंबई में देय	मराठी, गुजराती, कन्नड़
मुजफ्फरपुर	0621-2213405	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, लीची बागान, मुजफ्फरपुर-842001	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 के लिए अलग आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए अलग आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में देय	—
पटना	www.rrbpatna.gov.in 0612-2677011	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, महेन्द्रूघाट, पटना-800004	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 के लिए अलग आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 05 एवं 06 के लिए एकल आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, पटना, पटना में देय	—
रांची	www.rrbranchi.org 0651-2461535	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे कार्यालय परिसर, छटिया, रांची-834027 (झारखण्ड)	(i) कोटि सं. 01 एवं 02 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए अलग आवेदन पत्र	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, रांची, रांची में देय	उड़िया, बंगाली
सिकंदराबाद	www.rrbsec.org 040-27821663	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, साउथ लालगुडा, सिकंदराबाद-500017	(i) कोटि सं. 01 के लिए अलग आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (iii) कोटि सं. 06 के लिए अलग आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में देय	तेलुगु, मराठी, कन्नड, उड़िया
तिरुवनंतपुरम	www.rrbthiruvananthapuram.net 0471-2323357	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, थम्पानूर, तिरुवनंतपुरम-695001	(i) कोटि सं. 03 एवं 04 के लिए एकल आवेदन पत्र (ii) कोटि सं. 06 के लिए अलग आवेदन पत्र	सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम में देय	मलयालम, तमिल, कन्नड़

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड

क्रमशः